न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(79)

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 2660–एक/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 14.07.15 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी विदिशा प्रकरण क्रमांक 92/अपील/2014–15

---

1. श्रीमती मुन्नीबाई पत्नी श्री रामनारायण जाति ब्राह्मण
   धंधा खेती कृषक ग्राम खेजड़ा सुल्तान तह0 व
   जि0 विदिशा (म.प्र.)
2. रामनारायण पुत्र श्री राजाराम जाति ब्राह्मण
   धंधा खेती कृषक ग्राम खेजड़ा तह0 व
   जि0 विदिशा (म.प्र.) .....**आवेदकगण**

विरुद्ध

हरीनारायण पुत्र श्री पूरन सिंह मीणा जाति मीणा
धंधा खेती निवासी ग्राम मूड़रा चट्टान तरावली खुर्द
तहसील बैरसिया जिला भोपाल म0प्र0 .....**अनावेदक**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम सिंह ठाकुर
अनावेदक पूर्व से एक पक्षीय हैं।

आदेश

(आज दिनांक 18/1/19 **.....को पारित)**

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी विदिशा के प्रकरण क्रमांक 92/अपील/2014–15 पारित आदेश दिनांक 14.07.15 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा–90 के अंतर्गत एक पुर्नविलोकन याचिका प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 24.04.2015 द्वारा आदेश दिनांक 23.09.2014 निरस्त किया गया। अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 14.07.2015 द्वारा सुनवाई हेतु ग्राह्य किया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिए गए हैं कि अनावेदक हरीनारायण ने एक प्रकरण द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 के समक्ष प्रकरण कमांक 41ए/15 प्रस्तुत किया था जिसमें व्यवहार न्यायालय द्वारा उपपंजीयक को दस्तावेज कमांक 64 दिनांक 05.06.2014 को लाने के लिए तलब किया था। दिनांक 25.06.2015 को उपपंजीयक महोदय विदिशा ने सिविल न्यायालय में यह लिखकर दिया है कि उक्त दस्तावेज हमारे कार्यालय में पंजीकृत नहीं हैं, वह फर्जी हैं। इस ओर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है जिस कारण उक्त आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि एक आदेश के विरुद्ध पृथक–पृथक दो न्यायालयों में कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस ओर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है।

4/ अनावेदक प्रकरण में एक पक्षीय हैं।

5/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। अनुविभागीय अधिकारी ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को इस आधार पर अधिकारिता के अंदर माना है कि संहिता की धारा–110 के तहत नामांतरण के किसी भी प्रकरण में पारित आदेश के विरुद्ध संहिता की धारा–44 के अंतर्गत सुनवाई का अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को है। उक्त कारण से उन्होंने अपील को

प्रचलनशील मानते हुए ग्राह्य किया गया है। उनके इस आदेश में कोई न्यायिक एवं विधिक त्रुटि नहीं है। आवेदक का यह कहना कि सिविल न्यायालय में भी प्रकरण विचाराधीन है। इस संबंध में उनके द्वारा इस न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और ना ही व्यवहार न्यायालय का ऐसा कोई आदेश पेश किया गया है, जिसमें राजस्व न्यायालय की कार्यवाही को स्थगित किया गया हो। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर